संख्या-282/2024/आई/800220/41-1002-001-66-2023-CN-1700515

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 **लखनऊ:: दिनांक 20 नवम्बर, 2024**

विषय:- मद संख्या 37-जनपद वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना के अन्तर्गत जनपद वाराणसी के सारनाथ में स्थित सारंगनाथ मंदिर के पर्यटन विकास कार्य एवं अन्य परियोजनाओं हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र सं0-4725/6-1-1(1678)/2022-23 दिनांक 21.09.2024 एवं पत्र संख्या-5488/6-1-1(1678)/2022-23 दिनांक 18.10.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में मद संख्या-37-वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना के अन्तर्गत जनपद वाराणसी के सारनाथ में स्थित सारंगनाथ मंदिर के पर्यटन विकास कार्य की परियोजना एवं अन्य परियोजानाओं में अवशेष धनराशि निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में अनुदान संख्या 44 के लेखाशीर्ष 5452-पर्यटन पर परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-27-जनपद मिर्जापुर में विन्ध्यवासिनी देवी पूंजीगत धाम में पर्यटन विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि रू0 10000.00 लाख में से चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या 44 के लेखाशीर्ष 5452-पर्यटन पर परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-37-जनपद वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य मद में रू0 1200.00 लाख (रु0 बारह करोड़ मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्था किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपसे प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या 44 के लेखाशीर्ष 5452-पर्यटन पर परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-27-जनपद मिर्जापुर में विन्ध्यवासिनी देवी पूंजीगत धाम में पर्यटन विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि रू0 10000.00 लाख में से चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या 44 के लेखाशीर्ष 5452-पर्यटन पर परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-37-जनपद वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य मद में रू0 1200.00 लाख (रु0 बारह करोड़ मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से शासन के आदेश संख्या-आई/800207/41-1002-001-66-2023-CN-1700515 दिनांक 20 नवम्बर, 2024 द्वारा प्रदान किया गया है। उक्त धनराशि रु0 1200.00 लाख (रु0 बारह करोड़ मात्र) को पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) पुनर्विनियोग के माध्यम स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) पुनर्विनियोग के माध्यम स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में नियत तिथि 31.03.2025 के पूर्व शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का महालेखाकार, प्रयागराज से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. निदेशक, पर्यटन, उ0 प्र0, लखनऊ ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ
9. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A041-20242025-41-1002-001-66-2023-CN-1700515

विषय:-पुनर्विनियोग के माध्यम से मद संख्या-5452-पर्यटन पर परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-37-जनपद वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य मद में धनराशि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
044	5452801042700 (जनपद मिर्जापुर में विन्धवासनी देवी धाम में पर्यटन विकास)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	1,00,00,00,000 रुपये एक अरब मात्र	80,51,82,000 रुपये अस्सी करोड़ इक्यावन लाख बयासी हजार मात्र	12,00,00,000 रुपये बारह करोड़ मात्र	12,00,00,000 रुपये बारह करोड़ मात्र	88,00,00,000 रुपये अट्ठासी करोड़ मात्र	2024-2025
कुल					**₹ 12,00,00,000**	**₹ 12,00,00,000**		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
044	5452801043700 (जनपद वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	12,00,00,000 रुपये बारह करोड़ मात्र	12,00,00,000 रुपये बारह करोड़ मात्र	12,01,00,000 रुपये बारह करोड़ एक लाख मात्र	2024-2025
कुल				**₹ 12,00,00,000**	**₹ 12,00,00,000**		

उपरोक्त पुनर्विनियोग धनराशि निम्नलिखित शर्तो व प्रतिबंधों के अधीन निर्गत की जा रही है:-

1- पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।
2- पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।
3- पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा।
4- पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में नियम तिथि के पूर्व शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का महालेखाकार, प्रयागराज से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: RE-budget-1-127-E-7-115-X-2024-25-दिनांक:19-11-2024

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय,
उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

(मनजीत सिंह)
अनु सचिव।

संख्या:आई/800207/41-1002-001-66-2023-CN-1700515 दिनांक 20 नवम्बर, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महानिदेशक पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी (रा0यो0), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
9. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।